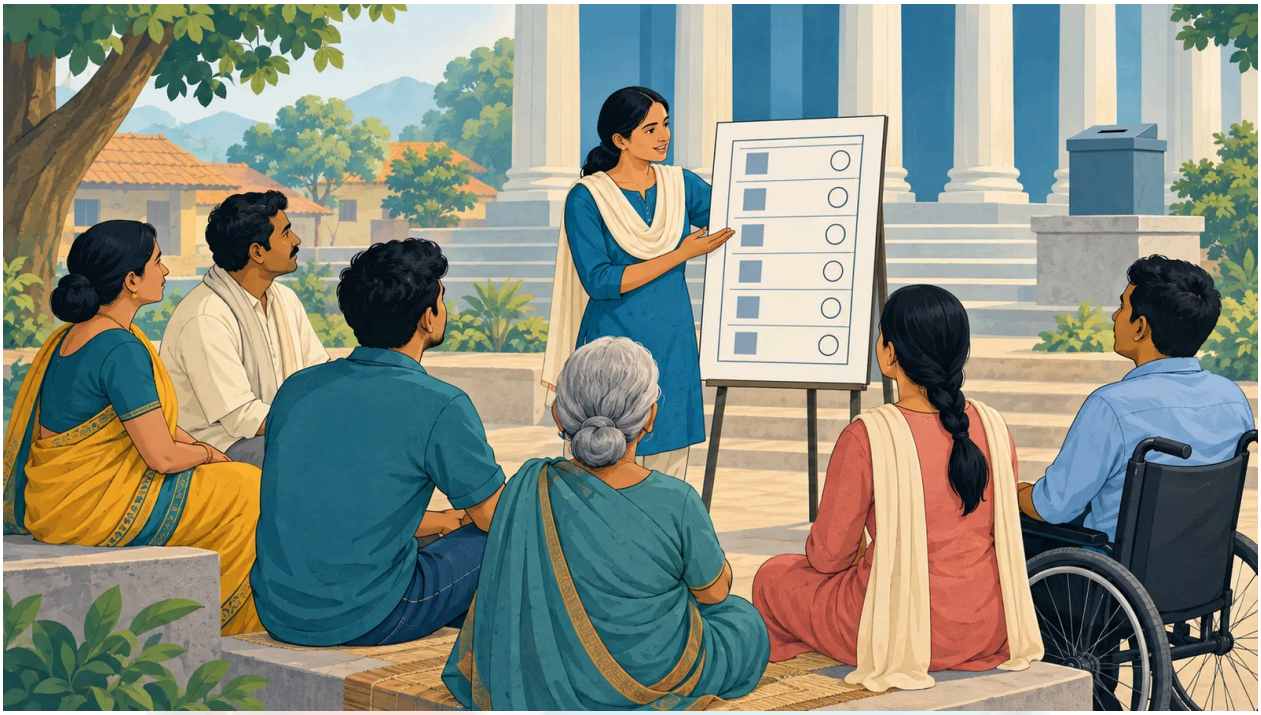
मतदाता-जागरूकता अभियान: नागरिक सहभागिता और अनुमति का संवैधानिक संतुलन

समाचार-संदर्भ: 2 नवंबर 2026
प्रकाशन: 3 नवंबर 2026
मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-II: चुनाव, नागरिक समाज और संवैधानिक संस्थाएं
प्रिलिम्स: अनुच्छेद 243K, 243ZA, 324 और SVEEP



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

सर्वोच्च न्यायालय ने 2 नवंबर 2026 को **अरुणा रॉय एवं अन्य बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) 249/2024** में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता-जागरूकता अभियान की अनुमति के अनुरोध पर दोबारा विचार करने को कहा। न्यायालय ने 9 अक्टूबर 2026 का संबंधित संचार निरस्त किया और **दो दिन के भीतर उचित आदेश** पारित करने का निर्देश दिया। मामला पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में अभियान चलाने के अनुरोध से जुड़ा है।

यह चुनावी भागीदारी और नागरिक समाज की भूमिका का प्रश्न है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायालय ने स्वयं अभियान को अनुमति दे दी, हर चुनावी प्रतिबंध खत्म कर दिया या देशभर के सभी संगठनों को बिना शर्त कार्यक्रम चलाने का अधिकार दे दिया। आदेश का सटीक दायरा समझना परीक्षा और सार्वजनिक चर्चा, दोनों के लिए जरूरी है।

लिखित आदेश में क्या है?

- राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया।
- याचिकाकर्ताओं के **6 अक्टूबर 2026** के अनुमति-आवेदन पर पुनर्विचार जरूरी माना गया।

- **9 अक्टूबर 2026** का संचार, जो आवेदन के साथ अनुलग्नक A-13 था, निरस्त किया गया।
- राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के दौरान मतदाता-जागरूकता अभियान की अनुमति के अनुरोध पर फिर निर्णय करना है।
- उचित आदेश **दो दिनों के भीतर** पारित करने को कहा गया; संबंधित अंतरिम आवेदन निस्तारित किया गया।

निष्कर्ष: पुराना निर्णय हटाकर नई निर्णय-प्रक्रिया का निर्देश दिया गया है। अनुमति मिलेगी या किन शर्तों पर मिलेगी, इसे इस आदेश से पहले से तय नहीं माना जा सकता। इस लेख में आयोग का कोई बाद का अनुमति-आदेश सत्यापित नहीं किया गया है।

दो दिन और तीन दिन का अंतर

इसी रिट याचिका में **19 अप्रैल 2024** का एक अलग अंतरिम आदेश भी है। उसमें लोकतंत्र यात्रा अथवा चुनाव के बारे में जनशिक्षा के लिए सार्वजनिक बैठक की अनुमति का आवेदन सक्षम प्राधिकारी को मिलने पर तीन दिन में निर्णय करने को कहा गया था। वह पुराना आदेश और 2 नवंबर 2026 का आदेश एक नहीं हैं।

कुछ समाचार विवरण में नवीन निर्देश के लिए भी तीन दिन लिखा गया है। यहां **सर्वोच्च न्यायालय के 2 नवंबर के मूल लिखित आदेश** को आधार बनाया गया है, जिसमें दो दिन हैं। तारीख, आवेदन और निर्देश को साथ पढ़ने से पुराने आदेश की समय-सीमा को नए आदेश में जोड़ने की गलती नहीं होती।

मौखिक टिप्पणियां और बाध्यकारी निर्देश अलग रखें

सुनवाई की समाचार रिपोर्टों में नागरिक समाज की भूमिका, चुनावी जागरूकता पर किसी संस्थागत एकाधिकार की धारणा, कार्यक्रम के स्थान और समय तथा व्यापक प्रतिबंधों पर चर्चा का उल्लेख है। ये **सुनवाई के दौरान रिपोर्ट की गई टिप्पणियां और बहस** हैं। इन्हें मूल आदेश में दर्ज कोई सार्वदेशिक कानूनी घोषणा नहीं बताया जाना चाहिए।

लिखित आदेश में धारा 163 के सभी आदेशों को सामूहिक रूप से अवैध घोषित नहीं किया गया है। इसलिए किसी नागरिक समूह को इस खबर के आधार पर स्थानीय अनुमति-प्रक्रिया या लागू सुरक्षा-निर्देशों की अनदेखी करने की सलाह देना गलत होगा। विश्लेषण का केंद्र है: कारणपूर्ण निर्णय, तय समय में सुनवाई और वैध सार्वजनिक भागीदारी।

राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग

संविधान के **अनुच्छेद 243K** के तहत पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों और चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। **अनुच्छेद 243ZA** नगरपालिकाओं के चुनावों की जिम्मेदारी भी इसी राज्य निर्वाचन आयोग को देता है।

इसके विपरीत, **अनुच्छेद 324** संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक आधार है। दोनों को एक ही संस्था समझना गलत है। वर्तमान प्रकरण में संबंधित निकाय **राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग** है, क्योंकि अनुरोध पंचायती राज चुनाव से जुड़ा है।

स्थानीय चुनावों की स्वायत्त व्यवस्था का मतलब यह नहीं कि मतदाता-शिक्षा का उद्देश्य अलग हो जाता है। सभी स्तरों पर मतदाता को सही सूचना, सहज पहुंच और स्वतंत्र निर्णय की जरूरत होती है। लेकिन आवेदन किस प्राधिकारी के पास जाएगा और कौन-सा नियम लागू होगा, यह चुनाव के प्रकार और लागू कानून से तय होगा।

मतदाता-जागरूकता किसे कहेंगे?

इसका उद्देश्य किसी दल या प्रत्याशी को जिताना नहीं, नागरिक को चुनाव की प्रक्रिया समझाना है। नामावली में अपना नाम जांचना, पात्रता और पंजीकरण समझना, मतदान केंद्र तक पहुंच की जानकारी, गोपनीय मतदान तथा प्रलोभन या दबाव से मुक्त चुनाव जैसे विषय इसके उदाहरण हैं। केवल मतदान-प्रतिशत बढ़ाना पर्याप्त लक्ष्य नहीं; सूचित और स्वैच्छिक भागीदारी भी जरूरी है।

नागरिक समाज स्थानीय भाषा, विश्वास और सामाजिक संपर्क के जरिए उन लोगों तक पहुंच सकता है जो सामान्य प्रचार से छूट जाते हैं। महिलाओं, पहली बार मतदान करने वालों, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों की सूचना तथा पहुंच संबंधी जरूरतें एक जैसी नहीं होतीं। हालांकि किसी संस्था का स्वयं को गैर-दलीय बताना ही पर्याप्त प्रमाण नहीं है; कार्यक्रम की सामग्री और व्यवहार भी उसी दावे के अनुरूप होने चाहिए।

SVEEP और निरंतर चुनावी साक्षरता

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार **SVEEP** का पूरा नाम **Systematic Voters' Education and Electoral Participation** है। यह मतदाता-शिक्षा, जागरूकता और चुनावी साक्षरता का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका शैक्षिक ढांचा सूचना, प्रेरणा और सुविधा के माध्यम से चुनावी भागीदारी में आने वाली बाधाओं को कम करने पर जोर देता है।

आयोग की 11 सितंबर 2026 की विज्ञप्ति में **Electoral Literacy Clubs यानी ELC 2.0** को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संरचित तथा डिजिटल रूप से समर्थ चुनावी-शिक्षा मंच के रूप में बताया गया। इसमें पंजीकरण, मतदान, मतगणना और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ के लिए पूरे वर्ष गतिविधियों की बात है।

इन कार्यक्रमों का उल्लेख इस बात का उदाहरण है कि मतदाता-शिक्षा केवल मतदान से कुछ दिन पहले की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यह संदर्भ वर्तमान मामले में किसी निजी संगठन को स्वतः अनुमति देने वाला नियम नहीं है। प्रशासनिक अभियान और स्वतंत्र नागरिक पहल की भूमिका समझते समय उनके कानूनी दायरे अलग रखने होंगे।

संतुलित अनुमति-व्यवस्था कैसी हो?

नीतिगत रूप से आयोजक कार्यक्रम का स्थान, समय, मार्ग, प्रतिभागियों का अनुमान, विषयवस्तु और जिम्मेदार संपर्क स्पष्ट कर सकते हैं। प्रशासन को वास्तविक सुरक्षा अथवा यातायात समस्या हो तो उसका कारण और संभव वैकल्पिक व्यवस्था बतानी चाहिए। यह अनुशंसित प्रशासनिक तरीका है, 2 नवंबर के आदेश में सूचीबद्ध अनिवार्य शर्तों की हूबहू पुनरावृत्ति नहीं।

- **तटस्थ सामग्री:** मतदाता-शिक्षा और दलगत प्रचार की सीमा स्पष्ट हो; आधिकारिक संस्था का समर्थन होने का झूठा दावा न हो।
- **समान व्यवहार:** समान परिस्थितियों वाले आवेदनों का मूल्यांकन स्पष्ट और समान मानकों पर हो।
- **समयबद्ध निर्णय:** चुनाव खत्म होने के बाद मिली अनुमति व्यावहारिक रूप से निरर्थक हो सकती है; इसलिए आवेदन पर समय से निर्णय जरूरी है।
- **कम बाधक विकल्प:** समस्या केवल मार्ग अथवा समय की हो तो पूर्ण रोक के बजाय सुरक्षित विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
- **विश्वसनीय सूचना:** स्थानीय भाषा और सुलभ प्रारूप अपनाएं; मतदाता की निजी जानकारी अनावश्यक रूप से इकट्ठा न करें।

परीक्षा के लिए सार

यह मामला दिखाता है कि चुनाव की निष्पक्षता और नागरिक सहभागिता को परस्पर विरोधी नहीं मानना चाहिए। चुनाव-प्रबंधन संस्थाओं की संवैधानिक जिम्मेदारी बनी रहती है; साथ ही मतदाता-शिक्षा के वास्तविक गैर-दलीय प्रयासों पर निर्णय स्पष्ट कारणों और समयबद्ध प्रक्रिया से होना चाहिए। मुख्य तथ्य याद रखें: **2 नवंबर 2026, पुनर्विचार, तीसरा पंचायती राज चरण और दो दिन**; इसे स्वतः अनुमति न लिखें।

मुख्य परीक्षा अभ्यास

"निष्पक्ष चुनाव केवल प्रशासनिक नियंत्रण से नहीं, सूचित नागरिक सहभागिता से भी मजबूत होते हैं।" मतदाता-जागरूकता में नागरिक समाज की भूमिका और अनुमति-व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: स्वतंत्र, सूचित और प्रलोभन-मुक्त मतदान का महत्व।

मुख्य भाग में: संवैधानिक संदर्भ: अनुच्छेद 324 तथा 243K और 243ZA की संस्थागत भिन्नता। योगदान: स्थानीय भाषा, वंचित समूहों तक पहुंच और चुनावी साक्षरता। चुनौतियां: छिपा दलगत प्रचार, भ्रामक सूचना और वास्तविक सुरक्षा-व्यवस्था। सुधार: तटस्थ सामग्री, समान मानक, कारणयुक्त और समयबद्ध निर्णय।

निष्कर्ष में: निष्पक्ष प्रबंधन और नागरिक भागीदारी का संतुलन; पुनर्विचार को स्वतः अनुमति न मानें।

प्रिलिम्स अभ्यास

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।
कथन 2: अनुच्छेद 243ZA नगरपालिका चुनावों का नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को देता है।

सही विकल्प चुनिए:

(A) केवल कथन 1

(B) केवल कथन 2

(C) दोनों कथन

(D) कोई भी कथन नहीं

▼ उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 243K पंचायतों और 243ZA नगरपालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324 है।

प्रश्न 2. 2 नवंबर 2026 के अरुणा रॉय मामले के आदेश के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

(A) न्यायालय ने देश के सभी नागरिक समूहों को बिना शर्त अभियान की अनुमति दी।

(B) न्यायालय ने सभी चुनावी प्रतिबंधों को स्वतः समाप्त कर दिया।

(C) राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित अनुरोध पर पुनर्विचार कर दो दिन में उचित आदेश देना है।

(D) न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को भारत निर्वाचन आयोग में मिला दिया।

▼ उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (C) 9 अक्टूबर का संचार निरस्त करके पुनर्विचार का निर्देश दिया गया। यह न्यायालय द्वारा स्वतः अभियान की अनुमति नहीं है। तीन दिन वाली समय-सीमा इसी मामले के अलग 19 अप्रैल 2024 के अंतरिम आदेश में थी।

स्रोत

- सर्वोच्च न्यायालय: मूल आदेश, 2 नवंबर 2026, W.P.(C) 249/2024
- सर्वोच्च न्यायालय: अलग अंतरिम आदेश, 19 अप्रैल 2024
- विधायी विभाग: भारत का संविधान, अनुच्छेद 243K, 243ZA और 324
- भारत निर्वाचन आयोग: SVEEP और मतदाता-शिक्षा
- ECI VoICE.NET: सूचना, प्रेरणा, सुविधा और समावेशी भागीदारी का शैक्षिक संदर्भ
- ECI विज्ञप्ति 115/2026, 11 सितंबर: ELC 2.0 और वर्षभर चुनावी साक्षरता
- LiveLaw, 2 नवंबर: सुनवाई की रिपोर्ट; समय-सीमा के लिए मूल आदेश को वरीयता